भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर
कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केन्द्र
ICAR Research Complex for Eastern Region
Farming System Research Centre for Hill and Plateau Region
प्लाण्डु, राँची- 834010 (झारखण्ड) Plandu, Ranchi- 834010 (Jharkhand)

F. No. RC-Ranchi/2021-22/Purchase-02/Auctionfruits/Comp. No.145813/4935   Date: 20.03.2026

To,

SIDDHARTHA ADVERTISING
1st Floor, Hotel 5-Diamonds Complex,
Fraser Road, Patna-1

Sub: Advertisement of "Auction Notice" of ICAR RCER, FSRCHPR, Ranchi- reg.

Sir,

Kindly find enclosed herewith the auction notice of fruits, which may please be published in **Dainik Bhaskar (Jharkhand Edition) and Prabhat Khabar (Jharkhand Edition)** on **21.03.2026**. The pre-receipted bill according to your quotation in duplicate duly stamped may be sent to the "Head, ICAR Research Complex for Eastern Region, Farming System Research Centre for Hill and Plateau Region, Plandu, Ranchi-834010" for payment.

Kindly note that the payment of advertisement charges will be made only as per approved DAVP rates basis. A cutting of advertisement along with a copy of approved DAVP rates may also be enclosed as proof so as to avoid delay in payment.

Yours faithfully,

20/03/26

Asstt. Admin. Officer

Encl: As above.

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. I/c ARIS Cell – **with request to upload the above auction notice at website of the Institute upto valid period.**
2. Sh. Sarfaraj Ahmad, STO- **with request to upload the above auction notice at notice board of eoffice.**
3. F.A.O., ICAR-RCER, Patna.
4. C&B Section, ICAR-RCER, FSRCHPR, Ranchi.
5. Dr. Mahesh Kumar Dhakar, Scientist, FSRCHPR, Ranchi.
6. Notice Board, ICAR-RCER, FSRCHPR, Ranchi.
7. Office copy.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर
कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केन्द्र
ICAR Research Complex for Eastern Region
Farming System Research Centre for Hill and Plateau Region
प्लाण्डु, राँची-834010 (झारखण्ड) Plandu, Ranchi 834010 (Jharkhand)

F.No.RC-Ranchi/2021-22/Purchase-02/Auctionfruits/Computer No.145813/ Date: 20.03.2026

निविदा संख्या- 02/2025-26

भा0कृ0अनु0प0 का पूर्वी अनुसंधान परिसर, कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केन्द्र,राँची के प्रक्षेत्र -1, प्लाण्डु, नामकुम (टाटा रोड) एवं प्रक्षेत्र-2, चुरू, राँची के बगीचों से विभिन्न प्रकार (आम, लीची, बेल, अमरूद, सपोटा इत्यादी) के पेड़ के फलों की 2 वर्ष (2026 एवं 2027) का नीलामी।

प्रधान भा0कृ0अनु0प0 का पूर्वी अनुसंधान परिसर, अनुसंधान, पटना / सचिव, भा0कृ0अनु0 परिषद नई दिल्ली - 110001 की तरफ से राँची के बगीचों से विभिन्न प्रकार **(आम, लीची, बेल, अमरूद इत्यादी)** के पेड़ के फलों की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रित करते हैं। निविदा हेतु विवरण निम्न प्रकार है:-

Earnest Money Deposit (**EMD**) will be **deposited separately** along with tender document for each plot- **Rs. 2000/-**

Sl no.	*Experimental orchards*	*Plot details*	*No. of Trees*	*Estimated Yield (kg)*	
				2026 year	*2027 year*
	Farm No. I :-				
1.	Ultra high density orcharding in guava	Farm no. I, area: 2.0 ha	2643	13215	13215
2.	High density orcharding and germplasm evaluation in bael	Farm no. I, area: 2.0 ha	389	5835	5835
3.	Jackfruits	Farm no. I, area: 1.5 ha	218	4360	4360
4.	High Density litchi shahi	Farm no. I area: 0.25 ha	279	1953	1674
5.	Litchi Swarna Roopa	Farm no. I, area: 1.0 ha	79	790	632
6.	Tamarind Germplasm	Farm no. I, area: 0.5 ha	42	420	420
	Farm No. II:-				
7.	Litchi Shahi Plot (Small plant)	Farm no. II, Block- 'A'	315	180	400
8.	Swarna Roopa + Purbi Litchi plot	Farm no. II, Block- 'A'	122	500	1000
9.	Mango Germplasm plot	Farm no. II, Block- 'B'	340	2200	5000
10.	Litchi seedling plot	Farm no. II, Block- 'B'	145	90	200
11.	Jackfruit Plot	Farm no. II, Block- 'C'	72	800	1500
12.	Shahi + Bedana Litch plot	Farm no. II, Block- 'C'	74	40	100
13.	Old Mango Hybrid plot	Farm no. II, Block- 'D'	122	500	1000
14.	New Mango Hybrid plot	Farm no. II, Block- 'D'	277	1500	3000
15.	Bael Plot	Farm no. II, Block- 'E'	33	150	300

उपर्युक्त उत्पादों को खरीदने के इच्छुक व्यक्ति/संगठन निर्धारित निविदा प्रारुपों में अपना निविदाएँ क्रमशः इस कार्यालय को जमा कर सकते है।

निविदा हेतु नियम एवं शर्तेः

Contd./2

1. निविदा पत्र खरीदने के उपरान्त निलामी हेतु प्रक्षेत्र उत्पादों का निरीक्षण दिनांक **23.03.2026 से 02.04.2026 तक किसी भी कार्यदिवस के बीच** प्रातः 09:30 बजे से अपराहन् 5:00 बजे तक प्रक्षेत्र प्रभारी-सह-तकनीकी अधिकारी से मिलकर किया जा सकता है।

2. इस कार्यालय से निविदा पत्र दिनांक **23.03.2026 से 02.04.2026** के पूर्वाह्न 10:00 बजे तक (अहस्तांतरणीय) 500/- (पाँच सौ रू. मात्र) **Bank ATM से Swipe machine/Cash** के द्वारा भुगतान के पश्चात् **(जो लौटाया नहीं जायेगा)** कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

3. **अग्रधन राशि - यथानिर्देशित लॉटों (Block) के लिए अग्रिम राशि (EMD)के रुप में एकाउन्ट पेयी ड्राफ्ट जो Head, ICAR-RCER, RC, Ranchi पर देय होगा या इस कार्यालय में नगद राशि के रूप में जमा करना होगा। अग्रधन राशि के बिना कोई भी निविदा मान्य नहीं होगा। किसी प्रकार की राशि जो पूर्व में जमा की गई हो उसकी ई. एम. डी. के रुप में हस्तानांतरण हेतु अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।**

4. निविदाकर्ता प्रत्येक निविदा का मूल्य का उल्लेख अलग-अलग करेंगे एवं इसे संलग्न अनुलग्नक-I (Annexure-I), जिसे बयाना राशि रसीद के साथ एवं नियम एवं शर्तों की प्रतिलिपि के साथ हस्ताक्षर करने के उपरान्त इस कार्यालय में जमा करेंगे जिसका मतलब होगा कि उन्हें उल्लेखित नियम एवं शर्ते मान्य है। अनुलग्नक-I की दूसरी प्रति निविदाकर्ता अपने पास रखेंगे।

5. सभी निविदा बन्द लिफाफा में जमा किया जायेगा जिसके ऊपर निविदा सं. 02/2025-26 कम सं.- **(आम, लीची, बेल, अमरूद इत्यादी)** के फलों की नीलामी हेतु निविदा" लिखी होनी चाहिए। निविदा कार्यालय में उपलब्ध निविदा बाक्स में अथवा पंजीकृत डाक (एडी सहित) द्वारा भेजी जा सकती है। यह सुनिश्चित करते हुए कि निविदा निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व इस कार्यालय को प्राप्त हो। डाक से भेजने पर कोई क्षति/देरी के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।

6. **निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय 02.04.26 को 12:30 बजे अपराह्न तक है।**

7. **निविदा खुलने की तिथि एवं समय प्रातः 06.04.26 को 11:00 बजे है।**

8. निविदा खुलना : निविदा खुलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा लिखित रुप में प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय परिसर (प्लाण्डू) में उपस्थित हो सकते है।

9. **भुगतान की विधि : वर्ष 2026 और 2027 के लिए फूट ब्लॉक के तहत अलग-अलग फलों की रिजर्व कीमत एक साथ इसलिए, सफल बोली लगाने वाले को रिजर्व राशि दो किस्तों में जमा करनी होगी, यानी पहले (वर्ष 2026) और दूसरे (वर्ष 2027) साल में फसल तुड़ाई से पहले संबंधित ब्लॉक की 50% (प्रतिशत) और 50% (प्रतिशत) की राशि संस्थान के खाते में Bank ATM से Swipe machine अथवा Account payee draft के द्वारा जमा/भुगतान करना अनिर्वाय होगा□ रिजर्व राशि जमा करने के पश्चात् ही Bidder को फलों को तोड़ने की अनुमति होगी।**

10. निविदा स्वीकार करने का अधिकार : प्रधान, भा0कृ0अनु0प0 का पूर्वी अनुसंधान परिसर, कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केन्द्र, पलांडू, रॉची/निदेशक, भा.कृ.अनु. परिषद् का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना/सचिव, भा.कृ.अनु. परिषद, नई दिल्ली को उच्चतम शर्त के अनुरूप किसी भी निविदा को स्वीकृत करने/रद्द करने का पूर्णतया अधिकार होगा। पूरी निविदा, निविदा के किसी भी भाग को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

Contd./3

11. मध्यस्तता : किसी प्रकार के निविदा से संबंधित विवादों, मतभेदों के निराकरण हेतु प्रधान, भा0कृ0अनु0प0 का पूर्वी अनुसंधान परिसर, कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केन्द, पलांडू, रॉची/ निदेशक, भा.कृ.अनु. परिषद् का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना/ सचिव, भा.कृ.अनु. परिषद, नई दिल्ली को प्रेषित किया जा सकता है। प्रधान, भा0कृ0अनु0प0 का पूर्वी अनुसंधान परिसर, कृषि प्रणाली का पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केन्द, पलांडू, रॉची/निदेशक, भा.कृ.अनु. परिषद् का पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना/सचिव, भा.कृ.अनु. परिषद, नई दिल्ली का निर्णय किसी भी पक्ष के लिए अंतिम रूप से मान्य होगा।

12. **सुरक्षा व्यवस्था : सफल निविदाकर्ता को निविदा प्राप्त करने के तुरन्त बाद सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। चोरी, फसल की बर्बादी, प्राकृतिक विनाश अथवा किसी अप्रत्याशित कारण वश क्षति के लिए यह केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।**

13. इच्छुक बोली लगाने वालों को IFS में अनुभव होना अनिवार्य है, MSME फर्मो को अनुभव आदि में छूट नहीं मिलेगी।

14. प्रक्षेत्र पर कार्यरत कर्मचारियों की निगरानी में, ठीकेदार को अपने श्रमिकों द्वारा फसल की तुड़ाई पेड़ों/प्रखंडो से करनी होगी।

15. **निलामी के प्लाटों में इस केन्द्र द्वारा प्रक्षेत्र कार्य गुड़ाई, सिचाई एवं जुताई आदि तथा कोई भी निर्माण कार्य किये जाने व अन्य कार्यो के कराये जाने पर ठीकेदार को कोई हस्तक्षेप/आपत्ति का अधिकार नहीं होगा।**

16. **फलों की तुड़ाई का कार्य पौधों को बिना क्षति पहुँचाए किया जाना होगा।**

17. **फलों की तुड़ाई का कार्य आकार के आधार पर नहीं बल्कि पकने की वास्तविक स्थिति पर करना होगा तथा इस पर इस केन्द्र के वैज्ञानिक की राय अंतिम होगी।**

18. **प्रत्येक पौधे की उपज (अनुसंधान के उद्देश्य हेतु) केन्द्र के प्रतिनिधि अंकित करेंगे। इसके लिए कार्यालय समय में प्रधान की अनुमति से कार्य करना होगा।**

20. संबंधित कर्मचारियों को पेड़ों अथवा प्लाटों के निरीक्षण का अधिकार सुरक्षित होगा।

21. फलों की तुड़ाई,रख-रखाव एवं ढुलाई की जिम्मेदारी ठीकेदारों की होगी।

22. **तुड़ाई का कार्य प्रातः 9.30 से 5.00 बजे अपराहन् तक कार्य दिवसों को ही होगा।**

23. ठीकेदार अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा संस्थान को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने पर इसकी क्षतिपूर्ति नियमानुसार सम्बन्धित ठीकेदार से की जायगी।

24. प्रशासनिक कार्य हेतु सहायक प्रशासन अधिकारी / ब्लाक इन्चार्ज / प्रधान से सम्पर्क करेंगे।

25. दूसरे कार्य (तकनीकी/तोड़ाई इत्यादि) हेतु कनीय उद्यान अधिक्षक/प्रक्षेत्र प्रभारी से सम्पर्क करेंगे। समास्यों का हल न होने पर अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क किया जा सकता है।

26. सभी विवादों के निपटारा का क्षेत्र रॉची होगा।

27. भारत सरकार/राज्य सरकार के नियम/अधिनियमों के अनुपालन की पूरी जिम्मेवारी ठीकेदार की होगी। तदनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान तथा **(बाल श्रमिकों के नियोजन)** की निशिद्धता तथा अन्य नियमों का पूर्ण अनुपालन करना होगा। इनके अनुपालन में हुए किसी भी खामियों की जिम्मेवारी विभाग की नहीं होगी।

28. **किसी भी प्रकार की दवाई के छिड़काव से पहले संस्थान के संबंधित वैज्ञानिक से संपर्क करना होगा।**

Contd./4

29. **निराई पौध संरक्षण पोषक तत्व एवं जल प्रबंधन सहित भूखण्डों का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित करना ठेकेदारों की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए ठेकेदारों को उपयुक्त फसल प्रबंधन प्रथाओं के संबंध में केन्द्र की कृषि प्रबंधन और सलाहकार समिति से परामर्श करना होगा। यानी तीन बार जुताई/झाड़ी मास्टर के माध्यम से घास काटना अनिवार्य है, जिसका प्रबंधन उन्हें अपने खर्च पर करना होगा।**

30. नीलामी के समय प्लॉट की स्थिति (साफ -सुथरी, खरपतवार मुक्त) नीलामी की पूरी अवधि के दौरान बनाए रखी जानी चाहिए।

31. **उपर्युक्त उद्येश्य के लिए आवश्यक सभी इनपुट और मशीनरी ठेकेदारों द्वारा लाना होगा।**

32. खेतों के अन्य भागों से उपलब्धता और मांग के आधार पर सिंचाई और छिड़काव के लिए पानी केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

33. सभी छिड़काव कार्य काम के घंटो के दौरान वैज्ञानिक/विशेषज्ञ की सलाह से किए जाने चाहिए।

34. प्रति पौधा 50 कलम/गूंटी और अनुसंधान उद्येश्य के लिए फलों के नमूने (प्रति पेड़ अधिकतम 2 किलोग्राम तक) संबंधित वैज्ञानिक/तकनीशियन को कार्यालय के उद्येश्यों के लिए दिए जाएंगे ।

35. केन्द्र में पौधों की कटाई और छंटाई (यदि आवश्यक हो) संबंधित वैज्ञानिक/तकनीशियन की देखरेख में की जाएगी।

36. वर्षा आधारित स्थिति में फलों के बाग में इंटरक्रॉपिंग का अभ्यास सफल बोली लगाने वाले द्वारा अतिरिक्त भूमि किराए के शुल्क रु 10,000/- प्रति हेक्टेयर का भुगतान करके किया जा सकता है।

37. समय से पहले कटाई से बचना चाहिए और फलों की कटाई के दौरान पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि पेड़ो को किसी भी ऑपरेशन से नुकसान न होए अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा।

38. प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।

39 **सफल बोली लगाने वाले निविदाकर्ता को संबंधित ब्लॉक के निलामी वाले प्लॉट की रिजर्व कीमत का 10% (प्रतिशत) सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर निविदा अवधि तक जमा करना अनिवार्य होगा।**

40. **यदि सफल बोली लगाने वाला 2 साल की रिजर्व कीमत जमा करने में विफल रहता है, तो उसकी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं की जाएगी।**

41. **सफल बोली की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में Bidder को आगामि निलामी प्रक्रिया में बहिष्कृत किया जाएगा।**

42. **सभी निविदाकर्ता अपना आधार कार्ड/पैन कार्ड का फोटोकॉपी एवं अन्य जरूरी दस्तावेज फार्म में अवश्य संलग्न करें।**

43. निविदाकर्ता द्वारा फलों की बिक्री हेतु केन्द्र के कार्मिकों को उनकी मांग के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

ऊपर लिखे सभी नियम एवं शर्ते मुझे पूरी-पूरी मान्य हैं।

ठेकेदार के हस्ताक्षर :-
तिथि :-
सम्पूर्ण डाक पता एवं मुहर :-
टेलीफोन नं. :

Contd./5

अनुलग्नक-I **(Annexure-I)**

निविदा दर पत्र

1. ठीकेदार का नाम :

2. पत्राचार का पता :

3. दूरभाष संख्या :

4. निविदा खुलने की तिथि एवं समय 06.04.2026 को **प्रातः** 11.00 बजे

क. सं.	ट्रायल का नाम	लोकेशन	निलामी का रकम (अंको में)	निलामी का रकम (शब्दों में)
1.	Ultra high density orcharding in guava	Farm no. I, area: 2.0 ha		
2.	High density orcharding and germplasm evaluation in bael	Farm no. I, area: 2.0 ha		
3.	Jackfruits	Farm no. I, area: 1.5 ha		
4.	High Density litchi shahi	Farm no. I area: 0.25 ha		
5.	Litchi Swarna Roopa	Farm no. I, area: 1.0 ha		
6.	Tamarind Germplasm	Farm no. I, area: 0.5 ha		
	Farm No. II:-			
7.	Litchi Shahi Plot (Small plant)	Farm no. II, Block- 'A'		
8.	Swarna Roopa + Purbi Litchi plot	Farm no. II, Block- 'A'		
9.	Mango Germplasm plot	Farm no. II, Block- 'B'		
10.	Litchi seedling plot	Farm no. II, Block- 'B'		
11.	Jackfruit Plot	Farm no. II, Block- 'C'		
12.	Shahi + Bedana Litch plot	Farm no. II, Block- 'C'		
13.	Old Mango Hybrid plot	Farm no. II, Block- 'D'		
14.	New Mango Hybrid plot	Farm no. II, Block- 'D'		
15.	Bael Plot	Farm no. II, Block- 'E'		

ठीकेदार के हस्ताक्षर :–

तिथि :–

Contd../6

(प्रोफार्मा)

1.	आवेदक/फर्म/बोलीदाता/खरीदार का नाम	
2.	आवेदक/फर्म/बोलीदाता/खरीदार का नाम एवं पता	
3.	संपर्क नम्बर (मोबाईल/फोन नम्बर)	
4.	ईमेल आईडी	
5.	दस्तावेजों सहित अन्य विवरण– i. आधार नम्बर ii. पेन नम्बर iii. बैंक खाता संख्या (विवरण सहित) iv. ई.एम.डी. विवरण v. फर्म पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) vi. जी.एस.टी. नम्बर (यदि लागू हो)	

आवेदक/फर्म/बोलीदाता/खरीदार
का नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

स्थान –
तारीख –

नोट – बोलीदाताओं को अपनी बोली के साथ उपरोक्त सभी प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न करनी होंगी, अन्यथा उन्हें नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।